*एम. एम. कुमार और गुरदेव सिंह, जे.जे. के समक्ष*

हरियाणा राज्य -अपीलकर्ता

*बनाम*

ओम प्रकाश नागरा और अन्य, *प्रतिवादी*

2011 का एलएपी नंबर 1667

19 जुलाई, 2011

*भारत का संविधान.-अनुच्छेद 14 और 16-प्रतिवादी को शुरू में तदर्थ पर नियुक्त किया गया- फिर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया- उत्तरदाताओं ने वरिष्ठता के उद्देश्य से अपने तदर्थ की गिनती के लिए याचिका दायर की- हनुमंत एकल मामले में डिवीजन बेंच के फैसले पर निर्भरता रखते हुए एकल पीठ द्वारा अनुमत याचिका- अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की, जिसमें मुद्दा उठाया गया कि क्या नियमितीकरण से पहले प्रदान की गई तदर्थ सेवा की अवधि की गणना वरिष्ठता प्रदान करने के उद्देश्य से की जा सकती है और अन्य लाभ- एकल पीठ के निर्णय को रद्द करने के लिए अपील की अनुमति दी गई।*

*माना* जाता है कि हनुमंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य *के मामले में, डिवीजन बेंच ने इस धारणा पर कार्यवाही की है कि* इस मामले में

नियुक्ति उचित माध्यम से और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की गई थी। आगे कहा गया कि वर्तमान मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के प्रावधानों का पालन करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

(पैरा 11)

अमन चौधरी, एडवोकेट जनरल, हरियाणा, अपीलकर्ताओं के लिए

श्री *मनोहर लैल, एडवोकेट, प्रतिवादी नं. 1* के लिए

एम. एम. कुमार, *जे.*

(1)लेटर्स पेटेंट के खंड वरिष्ठता और अन्य सहायक लाभ जैसे 8/18 या 10/18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उच्च वेतनमान/एसीपी, अतिरिक्त वेतन वृद्धि आदि। हरियाणा राज्य और उसके अधिकारियों ने पत्र के खंड एक्स के तहत तत्काल अपील दायर की है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2010 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध पेटेंट। याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर रिट याचिका को 1 जनवरी, 1991 की वरिष्ठता सूची (पी-8 और पी-9 ) और 28 फरवरी, 1992 के आदेश (पी-11 ) को रद्द करते हुए अनुमति दी गई है। अपीलकर्ताओं को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए 11 मई, 1970 से 25 फरवरी, 1973 तक उनके द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवा की गणना करने का निर्देश दिया गया है। उस संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने हनुमंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य

( 2006 का सीपीडब्ल्यू संख्या 7862, 4 जुलाई, 2008 को निर्णय लिया गया) के मामले में दिए गए इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण उनके संक्षिप्त आदेश से स्पष्ट होता है, जो इस प्रकार है:

"पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता अपने द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवाओं के लाभ का हकदार है।

यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ने 11 मई, 1970 से 25 फरवरी, 1973 तक क्लर्क के रूप में तदर्थ सेवा प्रदान की है। यह भी विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवा के बाद नियमित सेवा की गई क्योंकि वह 26 फरवरी, 1973 को नियमित आधार पर क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था।

वरिष्ठता, पेंशन आदि के प्रयोजन के लिए तदर्थ सेवा का लाभ देने से संबंधित विवाद को इस न्यायालय द्वारा हनुमंत सिंह के मामले (सुप्रा) में निपटाया गया है, जिसमें यह माना गया है कि तदर्थ सेवा के बाद नियमित सेवा को गिना जाएगा। 8/18 या 10/18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उच्च वेतनमान/एसीपी प्रदान करने, 10/20 प्रति 8/18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चालू वेतनमान में अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पेंशन, वरिष्ठता आदि के प्रयोजन के लिए।

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और आदेश अनुलग्नक पी. 8. पी. 9 और पी. 11 को रद्द किया जाता है। तदनुसार, आधिकारिक उत्तरदाताओं को हनुमंत सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए 11 मई, 1970 से 25 फरवरी, 1973 तक याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवाओं की गणना करने का निर्देश दिया जाता है। . आधिकारिक उत्तरदाताओं को यह निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ जारी करें।

(2) यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 1 ने 11 मई, 1970 से 25 फरवरी, 1973 तक तदर्थ आधार पर क्लर्क के रूप में काम किया। उसे 26 फरवरी, 1973 को नियमित आधार पर क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 जून 1991 की वरिष्ठता सूची (पी-8 और पी-9 ) और 28 फरवरी 1992 के आदेश (पी-11 ) को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की , जिसके तहत श्री जोगिंदर पाल आदिया-प्रतिवादी नंबर 2 को पदोन्नत किया गया है। उप अधीक्षक (कार्यालय) का पद. याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 1 की सटीक शिकायत यह थी कि यदि उसके द्वारा प्रदान की गई तदर्थ सेवा की उपरोक्त अवधि को गिना जाता है तो वह प्रतिवादी नंबर 2 से वरिष्ठ हो जाएगा।

(3) कुछ अतिरिक्त तथ्य बताना आवश्यक होगा जिनका तत्काल अपील में उठाए गए मुद्दे पर सीधा असर पड़ता है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। रोजगार कार्यालय से रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 1 का नाम मांगा गया था, जिसे पुलिस महानिदेशक, हरियाणा-अपीलकर्ता नंबर 2 को भेज दिया गया था। अपीलकर्ता नंबर 2 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था और पात्रता से संबंधित सभी दस्तावेज दिए गए थे। और क्लर्क पद के लिए योग्यता की जांच की गई। इसके बाद रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 1 लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटा के तहत सहायक पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा द्वारा साक्षात्कार के बाद उन्हें सफल घोषित किया गया। तदनुसार, 11 मई 1970 को एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया (पी-1 ), जिसमें विभिन्न शर्तें शामिल थीं। नियुक्ति पत्र के शुरुआती पैराग्राफ से पता चलेगा कि नियुक्ति छह महीने की अवधि के लिए थी या उस तारीख तक जब तक अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा द्वारा ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं कर दी जाती। नियुक्ति पत्र के खंड 2 और 6 के तहत निम्नलिखित शर्तें बनाई गईं: -

“2. यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि नियुक्ति का यह प्रस्ताव एक अस्थायी रिक्ति के लिए है और बाद में स्थायी सेवा का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है, एक बनियान के रूप में आपकी सेवाएं बिना किसी

सूचना के समाप्त की जा सकती हैं, अर्थात जब ऐसी कोई रिक्ति नहीं होगी जिसके विरुद्ध आपकी नियुक्ति जारी रखी जा सकती है।"

6. आपको पुनः सूचित किया जाता है कि एसएस बोर्ड, हरियाणा द्वारा क्लर्क के रूप में चयनित अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के शामिल होने पर आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए, यह आपके हित में है कि आप एसएस बोर्ड, हरियाणा द्वारा विज्ञापित पदों पर आयोजित क्लर्क की परीक्षा उत्तीर्ण करें।

(4) उपरोक्त खंडों के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 1 अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा द्वारा आयोजित क्लर्क के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुआ, जहां उसे 26 तारीख को क्लर्क के रूप में नियमित नियुक्ति के लिए चुना गया था। फरवरी, 1973. 16 नवंबर, 1973 को, हरियाणा राज्य ने निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी की तदर्थ सेवा का लाभ वार्षिक वेतन वृद्धि में गिना जा सकता है और वरिष्ठता के लिए नट बॉट को छोड़ दिया जा सकता है। यह स्पष्ट किया गया कि तदर्थ सेवा का लाभ पदोन्नति (आर-1) में भी नहीं दिया जा सकता।

(5) पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने और पेपर बुक का अवलोकन करने के बाद हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार से सहमत होने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 1 तदर्थ सेवा की गणना के लाभ का हकदार है। उनके द्वारा 11 मई, 1970 से 25

फरवरी, 1973 तक क्लर्क के रूप में कार्य किया गया। ऊपर देखी गई तथ्यात्मक स्थिति पर एक नजर डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्लर्क के पद पर नियुक्ति केवल अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा ही की जा सकती थी, न कि किसी विभागीय चयन समिति या सहायक पुलिस महानिरीक्षक द्वारा। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार किया गया था और रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 1 की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के अनुरूप थी। एक स्तर पर इसे संवैधानिक और कानूनी रूप से स्वीकार्य माना जाता था यदि रिक्तियों को रोजगार कार्यालय में भेजने की मांग द्वारा भरा जाता है। भारत संघ बनाम एन. हरगोपाल[1], के मामले ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि विभाग द्वारा नामों की मांग के बाद रिक्तियों को रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए। वास्तव में, उपरोक्त दृष्टिकोण को उत्पाद शुल्क अधीक्षक, मलकापट्टनम बनाम विश्वेश्वर राव[2], के मामले में लगभग खारिज कर दिया गया है। बाद के फैसले से निकाले गए निम्नलिखित पैराग्राफ दिखाएंगे कि चयन प्रक्रिया को उम्मीदवारों तक ही सीमित रखा गया है। रोजगार कार्यालय

[1] (1987) 3 एससीसी 308
[2] (1996) 6 एससीसी 216

द्वारा प्रायोजित संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं का उत्तर नहीं देगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: -

"4. भारत संघ बनाम एन. हरगोपाल , (1987) 3 एससीसी 308 में इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित वकील की इस दलील पर गौर किया कि उन उम्मीदवारों को बाहर करना, जिन्हें रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्रायोजित नहीं किया गया था और उम्मीदवारों के लिए चयन की पसंद को सीमित कर दिया गया था। रोजगार विनिमय के माध्यम से प्रायोजित, अनुच्छेद 14 और 16 के समानता खंड का उल्लंघन होगा और यह माना गया कि विवाद आकर्षक था और यह सरकार के लिए पसंद के क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए खुला नहीं था। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अखबार का प्रकाशन भी कई विकलांगों तक नहीं पहुंच पाएगा, जो अखबार तक पहुंच पाने में असमर्थ होंगे, यह माना गया कि रोजगार विनिमय के माध्यम से प्रायोजन अनुच्छेद 14 के 16 का उल्लंघन नहीं करेगा। दूसरी ओर, यह विकलांगों के अधिकारों को आगे बढ़ाएगा। उस दृष्टि से, इस न्यायालय ने रोजगार कार्यालय के माध्यम से उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा, जबकि यह माना कि इस तरह के प्रतिबंध को निजी रोजगार पर लागू करने का इरादा नहीं था जैसा कि पैरा 6 में रखा गया है। फैसले का.

5. राज्य के विद्वान वकील श्री राम कुमार ने तर्क दिया कि उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देश कानून के अनुसार नहीं है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सर्वश्री शांति स्वरूप और एलआर राव ने तर्क दिया कि रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्रायोजित चयनित उम्मीदवारों के लिए पसंद के क्षेत्र का प्रतिबंध रोजगार के लिए विचार किए जाने के अधिकार पर रोक लगाता है। राज्य के अधीन पद और कई लोग अपना नाम प्रायोजित करवाने के लिए रोजगार कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं और रोजगार कार्यालय अपने रिकॉर्ड में वरिष्ठता के अनुसार नाम भेजने के लिए उचित साधन और प्रक्रिया नहीं अपना रहे हैं। इसलिए, बेहतर तरीका यह होगा कि रोजगार विनिमय और समाचार पत्र में प्रकाशन दोनों माध्यमों को अपनाया जाए क्योंकि इससे सार्वजनिक उद्देश्य बेहतर ढंग से पूरा होगा।

6. संबंधित तर्कों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उत्तरदाताओं का तर्क अधिक स्वीकार्य है जो निष्पक्ष खेल, न्याय और समान अवसर के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। यह सामान्य ज्ञान है कि कई उम्मीदवार अपने नाम प्रायोजित करवाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके नाम या तो पंजीकृत हैं या रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप चयन का विकल्प केवल उन्हीं उम्मीदवारों तक सीमित है जिनके नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं। इन परिस्थितियों में, कई योग्य उम्मीदवार राज्य के तहत किसी पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। बेहतर

दृष्टिकोण यह प्रतीत होता है कि मांग करने वाले प्राधिकारी/प्रतिष्ठान के लिए रोजगार कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होना चाहिए, और रोजगार कार्यालय को मांग के अनुसार वरिष्ठता और आरक्षण के अनुसार चयन के लिए उम्मीदवारों के नामों को मांग करने वाले विभागों को प्रायोजित करना चाहिए। इसके अलावा, उपयुक्त विभाग या उपक्रम या प्रतिष्ठान को व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा नाम मंगाना चाहिए और अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहिए या रेडियो, टेलीविजन और रोजगार समाचार बुलेटिन पर घोषणा करनी चाहिए; और फिर आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करें। यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो निष्पक्ष खेल की सेवा नहीं होगी। रोजगार के मामले में अवसर की समानता सभी पात्र उम्मीदवारों को उपलब्ध होगी।

(6) एक बार रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 1 की तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत स्वीकार्य प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी , तो माननीय संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत। डायरेक्ट रिक्रूट क्लास- II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य[3] के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश , लागू होगा। सीधी भर्ती के मामले (सुप्रा) में निर्धारित विभिन्न प्रस्तावों के अनुसार, यदि प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ है और नियमों के अनुसार नहीं है तो ऐसे पद पर

[3] (1990) 2 एससीसी 715

स्थानापन्न को वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। सीधी भर्ती के मामले (सुप्रा) में निर्धारित उपरोक्त दो पदों को इस प्रकार पढ़ा जाएगा: -

"(ए) एक बार जब किसी पदाधिकारी को नियम के अनुसार किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता उसकी नियुक्ति की तारीख से गणना की जानी चाहिए, न कि उसकी पुष्टि की तारीख के अनुसार। उपरोक्त नियम का परिणाम यह है कि जहां प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ है और नियमों के अनुसार नहीं है और स्टॉप-गैप व्यवस्था के रूप में की गई है, तो ऐसे पद पर स्थानापन्न को वरिष्ठता पर विचार करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

(बी) यदि प्रारंभिक नियुक्ति नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की गई है, लेकिन नियुक्त व्यक्ति नियमों के अनुसार अपनी सेवा के नियमित होने तक पद पर निर्बाध रूप से बना रहता है, तो स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जाएगी।

(7) यदि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं तो रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 11 मई, 1970 से 25 फरवरी तक क्लर्क के रूप में प्रदान की गई तदर्थ सेवा की गणना का लाभ, 1973 वरिष्ठता और पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए योग्य नहीं होगा।

(8) जहां तक पदोन्नति वेतनमान/पदोन्नति वेतन वृद्धि के प्रयोजनों के लिए तदर्थ सेवा की गिनती का सवाल है, यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है। इसी तरह का एक मुद्दा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बनाम जगजीवन राम[4] , के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचार के लिए आया था, जिसमें पैरा 21 में उनके आधिपत्य को इस प्रकार रखा गया है:

"21. ऊपर उल्लिखित कारणों से, हम मानते हैं कि उत्तरदाता 9/16/23 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने से पहले की तारीख पर समयबद्ध पदोन्नति वेतनमान/पदोन्नति वेतन वृद्धि के लाभ के हकदार नहीं थे और उच्च न्यायालय ने निर्देश देकर गंभीर त्रुटि की है। अपीलकर्ताओं को उनकी कार्य प्रभारित सेवा को गिनाकर योजना का लाभ दिया जाए।"

(9) यह स्पष्ट है कि वरिष्ठता, पदोन्नति या कुछ अन्य लाभों के प्रयोजनों के लिए कार्य-प्रभार के आधार पर, तदर्थ आधार पर या दैनिक दर के आधार पर प्रदान की गई सेवा की गणना नहीं की जा सकती है। हालाँकि, यह सिद्धांत उस मामले में लागू नहीं होगा जहां विचार अलग-अलग स्तर पर आगे बढ़ता है यानी जब पेंशन का सवाल आता है।

[4] (2009) 3 एससीसी 661

(10) एमके शनमुगम बनाम भारत संघ[5] के मामले में रिट याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील श्री मनोहर लाल द्वारा देश को उद्धृत निर्णय , भी नहीं दिया जा सका लागू हो क्योंकि उस मामले में तथ्यों पर यह पाया गया कि प्रारंभिक नियुक्ति उसी प्रक्रिया का पालन करके की गई थी जो नियमित नियुक्ति के लिए अपनाई जानी आवश्यक थी। मौजूदा मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है।

(11) हमारा यह भी मानना है कि हनुमंत सिंह (सुप्रा) के मामले में दिए गए डिवीजन बेंच के फैसले का हमारे द्वारा तय किए गए मुद्दे पर कोई असर नहीं है। उस मामले में विद्वान डिवीजन बेंच इस धारणा पर आगे बढ़ी है कि उस मामले में डीजल पंप अटेंडेंट की नियुक्ति उचित माध्यम से और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की गई थी। उसी स्थिति में एसीपी का लाभ दिया गया. हालाँकि, वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति पूरी तरह से अलग है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था। एक बार जब यह तथ्यात्मक मैट्रिक्स है तो इससे कोई बच नहीं सकता है कि हनुमंत सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले का विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा गलत तरीके से पालन किया गया है और वास्तव में, यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

[5] (2000) 4 एससीसी 476

(12) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, तत्काल अपील सफल होती है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए दिनांक 19 जुलाई, 2010 के फैसले को रद्द कर दिया गया है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

ए. ए.जी.जी.

*अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वियन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

*अंकिता गुप्ता*
*प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी*
*बिलासपुर यमुनानगर*